न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 58/2017

उनवान

मौसिन मोहम्मद खान पुत्र यासिन मोहम्मद खान जाति मुसलमाल निवासी गगवाना तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. सरदार मोहम्मद खान पुत्र गुल मोहम्मद खान
2. गुल मुनवर खान पुत्र युसुफ मोहम्मद खान
3. गुल फरीद खान पुत्र युसुफ मोहम्मद खान

   जाति मुसलमान निवासी गगवाना तहसील व जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी इन्द्राज दुरूस्ती

आदेश दिनांक 18.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सपठित धारा 151 सी.पी.सी वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम गगवाना पटवार हल्का गगवाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गगवाना तहसील व जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खसरा नम्बर 222 रकबा 0–12 व वर्किंग खसरा नम्बर 223 रकबा 1–18 है जमाबंदी सवंत 2024 से 2027 में वादग्रस्त आराजीयात के गत खसरा नम्बर 150 प्रार्थी के पिता के स्थान पर प्रार्थी के नाम नामांतरकरण संख्या 32 दिनांक 5.1.1983 को खोला गया था जिसके पश्चात उपरोक्त आराजियात लगातार प्रार्थी के नाम ही दर्ज चली आ रही थी एवं वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी ही लगातार काश्त करता चला आ रहा है किन्तु प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबंदी सवंत 2074– से 2077 की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त खसरा नम्बर प्रार्थी के नाम दर्ज ना होकर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गए है क्योंकि विपक्षीगण प्रार्थी के ही परिवार के सदस्य है इसलिए राजस्व कर्मवचारियों द्वारा त्रुटिवश उपरोक्त आराजीयात विपक्षीगण के नाम दर्ज कर दी गयी है जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेंट

Scanned by CamScanner

सहवन/त्रुटिवश की गयी है जिस कारण उपरोक्त त्रुटि को प्रार्थी दुरूस्त करवा कर पुनः उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्याययोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी का नाम वर्तमान खसरा नम्बर 222 रकबा 0–12 व खसरा नम्बर 223 रकबा 1–13 खातेदारी में दर्ज किये जाकर इन्द्राज दुरूस्त किए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी संख्या 2 व ६ की ओर से अधिवक्ता दिपेन्द्र सिह उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने अपने जवाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एक ही परिवार के सदस्य है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम गगवाना पटवारी हल्का क्षेत्र गगवाना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गगवाना तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती में वर्णित चरण संख्या 1 की तालिका के वर्किग खसरा नम्बर 223 जिसके चौसाला खसरा नम्बर 150 व हाल खसरा नम्बर 232 होना स्वीकार है । वर्किग खसरा नम्बर 223 के कुल क्षेत्रफल में से 9 बीस्वा 10 बीस्वांसी (अक्षरे साढे नौ बिस्वा) मौसीन खान पुत्र यासिन मोहम्मद खान के अक व अधिकार में आई हुई आराजीयात है किन्तु त्रुटि से राजस्व कर्मचारियों द्वारा दोराने सेटलमेंन्ट वर्किग खसरा नम्बर 223 के 9 बीस्वा 10 बीस्वांसी की एक गलत एंट्री/खतौनी हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर दी गईहै जो कि सहवन से हुई त्रुटि है अतः वर्किग खसरा नम्बर 223 के 9 बीस्वा 10 बीस्वांसी का सही इन्द्राज प्रार्थी मौसिन मोहम्मद के नाम किया जाना सही व न्यायोचित है। अतः वर्किग खसरा नम्बर 223 के 9 बीस्वा 10 बीस्वांसी का जो गलत अंकन/खतौनी हम अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हुआ है को प्रार्थी के नाम दर्ज कर दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

राजकीय पेरोकार ने उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार अजमेर के द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए साबिक रेकार्ड जमाबंदी 2024 से 2027 तथा नामान्तकरण की सत्य प्रति (नामान्तकरण नम्बर 32 दिनांक 05.01.1983) के अनुसार प्रार्थी के नाम उक्त आराजियात ग्राम गगवाना के खसरा नम्बर 222 व 223 पर लगातार दर्ज चली हाने का कथन प्रार्थी स्वयं सिद्व करे । साथ ही प्रार्थी का कथन असत्य है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा दौराने सेटलमेंट त्रुटि कारित कर प्रार्थी का इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नही किया गया । प्रार्थी के नाम वर्किग जमाबंदी (2041) में ही कोई अंकन दर्ज नही है। अतः नयायालय में प्रकरण में दर्ज आराजियात खातेदारी भूमि का होने से वाद वादी तथा प्रतिवादी गण संख्या 1 से 3 के मध्य का है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के परिधि में नही होने से खारिज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से जमाबंदी 2024 से 2027 के

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 150 प्रार्थी के पिता के स्थान पर प्रार्थी के नाम नामांतरकरण संख्या 32 दिनांक 5.1.1983 के आधार पर वर्तमान रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती चाही गई है। वर्किंग जमाबंदी में प्रार्थी के नाम किसी प्रकार का इन्द्राज नही है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधी में नहीं होने से वर्तमान स्वरूप में पोषणीय नही होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधी में पोषणीय नही होने से निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रार्थी अपने हक,अधिकार की घोषणा हेतु नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वत्रंत है ।

आदेश आज दिनांक 16.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner